संख्या-39 /2017/471/23-10-17-07(सा)/2014

प्रेषक,

मोहन बाबू गुप्ता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ : दिनांक 22 मई, 2017

विषय:- प्रदेश में सेतु परियोजनाओं के निर्माण हेतु सेतु एवं पहुंच मार्ग दोनों के लिये एक ही कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता(विकास)/विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 के पत्र सं0-295/सामान्य-सेतु/सेतु-31/2017, दि0 12.05.2017, जिसके द्वारा प्रदेश में सेतु परियोजनाओं के निर्माण हेतु सेतु एवं पहुंच मार्ग दोनों के लिये एक ही कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेतु निर्माण कार्य हेतु सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सेतु निगम द्वारा बनाये जाने वाले सेतुओं के सेतु अंश, पहुंच मार्गो/अतिरिक्त पहुंच मार्गों का निर्माण उ0प्र0 राज्य सेतु निगम द्वारा एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित किये जाने वाले सेतुओं के सेतु अंश, पहुंच मार्गो/अतिरिक्त पहुंच मार्गों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाय।

कृपया उक्त आदेश का अनुपालन शीर्ष प्राथमिकता पर तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

M.D.S.B.C. / All Zonal Chief Engineers

S.E. 3140(B)

भवदीय,

(मोहन बाबू गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या- 39/2017/471(1)/23-10-17, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ को उपर्युक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(काशी प्रसाद तिवारी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned by CamScanner